न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, बीकानेर संभाग, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी श्री रामनिवास जाट आर.ए.एस.

(1) अपील संख्या : 168/2017 एल.आर. एक्ट

देवेन्द्र कुमार पुत्र श्री रामलाल जाति जाट निवासी फतेहगढ मोड़ हनुमानगढ टाउन तहसील व जिला हनुमानगढ।

अपीलान्ट्

बनाम

1. स्टेट जरिये तहसीलदार (राजस्व) हनुमानगढ।
2. राजेन्द्र कुमार पुत्र श्री रामलाल जाति जाट निवासी फतेहगढ मोड़, हनुमानगढ टाउन तहसील व जिला हनुमानगढ।
3. सुनीता पत्नी स्व. कुष्ण कुमार जाट निवासी ढाणी चक 1 एस.एन.एम. तहसील हनुमानगढ।
4. स्वाति पुत्री स्व. कुष्ण कुमार जाट निवासी ढाणी चक 1 एस.एन.एम. तहसील हनुमानगढ।
5. शारदा चौधरी पत्नी लालचन्द जाट निवासी बीझबायला तहसील पदमपुर जिला श्रीगगानगर।
6. कश्मीर कौर पत्नी मस्सासिह जाति जटसिख निवासी चक 1 एस.एन. एम.तहसील हनुमानगढ।

रेस्पोडेन्ट्स

(2) अपील संख्या : 169/2017 एल.आर. एक्ट

देवेन्द्र कुमार पुत्र श्री रामलाल जाति जाट निवासी फतेहगढ मोड़ हनुमानगढ टाउन तहसील व जिला हनुमानगढ।

अपीलान्ट्

बनाम

1. स्टेट जरिये तहसीलदार (राजस्व) हनुमानगढ।
2. राजेन्द्र कुमार पुत्र श्री रामलाल जाति जाट निवासी फतेहगढ मोड़, हनुमानगढ टाउन तहसील व जिला हनुमानगढ।
3. सुनीता पत्नी स्व. कुष्ण कुमार जाट निवासी ढाणी चक 1 एस.एन.एम. तहसील हनुमानगढ।
4. स्वाति पुत्री स्व. कुष्ण कुमार जाट निवासी ढाणी चक 1 एस.एन.एम. तहसील हनुमानगढ।
5. शारदा चौधरी पत्नी लालचन्द जाट निवासी बीझबायला तहसील पदमपुर जिला श्रीगगानगर।
6. कश्मीर कौर पत्नी मस्सासिह जाति जटसिख निवासी चक 1 एस.एन. एम.तहसील हनुमानगढ।

रेस्पोडेन्ट्स

उपस्थितः
1. श्री महावीर प्रसाद शर्मा — अभिभाषक अपीलांट
2. श्री ज्ञानसिह विश्नोई — अभिभाषक रेस्पोडेंट नं. 2 (अनुपस्थित)
3. श्री के.एन.पाण्डे — अभिभाषक रेस्पोडेंट नं. 6 (अनुपस्थित)
4. श्री सुभाष सहू — राजकीय अभिभाषक

अति.संभागीय आयुक्त
बीकानेर

निर्णय **दिनांकः 13–09–2019**

1. दोनों अपीले भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत तहसीलदार (राजस्व) हनुमानगढ के निर्णय दिनांक 10.4.2015 के विरूद्व पेश होने के कारण एक साथ ही निर्णय किया जा रहा है। अपीलों का सार यह है कि स्व. रामलाल पुत्र सरदाराराम के नाम से चक 1 एस.एन.एम. में 25 बीधा खातेदारी कृषि भूमि थी। रामलाल फौत हो चुका है जिसके लिये विरासतन इंतकाल किया गया, जिसमें रामलाल के वारिसान अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट नम्बर 2 ता 4 के हक मे इंतकाल हिस्सानुसार कर दिया गया। जिसके विरूद्व एक अपील राजेन्द्र कुमार द्वारा जिला कलेक्टर हनुमानगढ में दायर की गई, जिसे दिनाक 11.11.97 को स्वीकार करते हुए यह माना गया कि शारदा देवी जो रामलाल की गौद गई हुई थी या नही, इस संबध मे जब तक निर्णय नही हो जाता तब तक इंतकाल की कार्यवाही स्थगित रखी जावे। इस आधार पर यह इंतकाल शारदा के हक में हुआ था। राजस्व अभियान के अन्तर्गत कैम्प श्रीनगर में एक प्रार्थना पत्र सुनीतादेवी रेस्पोडेंटा द्वारा 4.12.2004 को प्रस्तुत किया, जिसके अन्तर्गत अपने पति का वारिसनामा रामलाल का पुत्र बताकर प्रस्तुत किया जिसके आधार पर पुनः इन्तकाल करने का आदेश दे दिया गया जिसके विरूद्व अपीलांट द्वारा ऐतराज प्रस्तुत किया गया जिसे सुनकर व सही मानकर अदालत द्वारा आदेश दे दिया लेकिन ऐतराज करने पर पुनः तारीख 2.5.2005 को इन्तकाल के आदेश को निरस्त कर पूर्व की स्थिति कायम करने का आदेश दे दिया गया। इसी दौरान रेस्पोडेंटां स्वाति व सुनीता द्वारा 3 बीघा भूमि का बेचान रेस्पोडेंटा कश्मीर कौर को कर दिया गया। सुनीतादेवी द्वारा इस इन्तकाल निरस्ती आदेश दिनांक 2.5.2005 के विरूद्व अपील जिला कलेक्टर, हनुमानगढ़ में दायर की और उसमें तहसीलदार के आदेश को चैलेंज किया गया जिसके अन्तर्गत अपर जिला कलेक्टर, हनुमानगढ़ द्वारा 12.3.2008 को निर्णय देते हुए अपील स्वीकार करते हुए शारदा पुत्री जयमलराम को आवश्यक पक्षकार मानते हुए मामले को रिमाण्ड कर दिया और पुनः निर्णय करने का आदेश दिया गया। शारदादेवी जिसे पक्षकार बनाने का और सुनवाई का आदेश दिया था उसके विरूद्व सिविल न्यायालय द्वारा आदेश दिनाक 7.2.2012 को पारित करते हुए शारदा देवी को रामलाल की पुत्री

अति. संभागीय आयुक्त
बीकानेर

जाइन्दा अथवा गोदित किसी भी प्रकार से मानने से इन्कार करते हुए धोषणा जारी कर दी जिसके विरूद्व शारदा देवी द्वारा अपील ऐ.डी.जे. कोर्ट हनुमानगढ़ में दायर की गई। इस मामले में तहसीलदार द्वारा न तो सुनवाई का पूर्ण अवसर दिया गया और ना ही मिसल का पूर्ण रूप से अवलोकन किया एवं ना ही प्रस्तुत साक्ष्य व पूर्व में दिये गये आदेशों की पालना की और ना ही मौका की स्थिति को समझा बल्कि जब स्पष्ट रूप से यह आदेश स्वयं अदालत हाजा द्वारा दिया गया था कि जब तक सिविल न्यायालय का निर्णय न हो जावे तब तक नामान्तरकरण निरस्त कर पूर्व की स्थिति कायम रखी जाती है यानि स्थिति के अनुसार भूमि वादाधीन रामलाल के नाम थी, रहनी चाहिये थी। तमाम आर्डरशीटें इस बात को स्पष्ट करती है कि तारीख 18.6.2014 के बाद मिसल ना तो पेशी में ली गई ना ही सुनवाई का अवसर दिया गया। तारीख 10.4.2015 को सीधा ही निर्णय सुना दिया गया। जो स्पष्ट रूप से इस बात को इंगित करता है कि मातहत अदालत के पीठासीन अधिकारी एक पक्ष को शीघ्रतिशीघ्र बिना आधार के फायदा पहुंचाना चाहते थे।

2. अपीलांट का तर्क है कि तहसीलदार ने अपीलाधीन आदेश जारी करने से पूर्व उन्हें सुनवाई का मौका नहीं दिया तथा न ही मिसल का पूर्ण अवलोकन किया। उन्होनें गोदनामा के प्रश्न सिविल न्यायालय में लम्बित रहने के दौरान रामलाल के वारिसान के पक्ष में स्वीकृत नामान्तरकरण को अवैध बताया है। अपीलांट ने तहसीलदार पर मुतकिली दरख्वास्त को नजर अंदाज करते हुये हितबद्व होकर निर्णय करने का आरोप लगाया है।

उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया तथा परीक्षण न्यायालय की पत्रावली में शामिल दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। विवादित आराजी का मूल खातेदार रामलाल पुत्र सरदाराराम था जिसकी मृत्यु के उपरांत उसके प्राकृतिक वारिसों के पक्ष में नामान्तरकरण स्वीकृत किया गया, परन्तु अपीलांट देवेन्द्रकुमार द्वारा आपत्ति करने पर पूर्व आदेश को रिव्यू करने हुये नामान्तरकरण से पूर्व की स्थिति बहाल रखने अर्थात मृतक रामलाल के नाम ही जमाबंदी में बरकरार रखने का आदेश दिनांक 2.5.2005 को दिया गया। उक्त आदेश से प्रभावित पक्ष सुनीतादेवी द्वारा उक्त निरस्तीकरण आदेश को चुनौति देने पर अतिरिक्त कलेक्टर ने शारदा देवी को पक्षकार बनाकर पुनः निर्णय करने के आदेश दिये। शारदा देवी ने उक्त

अति. संभागीय आयुक्त
बीकानेर

विवादित भूमि में अपना हित नहीं होने की स्थिति को स्वीकार किया। ऐसी स्थिति में तहसीलदार को मृतक खातेदार के व्यक्तिगत कानून के अनुसार उत्तराधिकारियों के पक्ष में नामान्तरकरण स्वीकृत करने की कार्यवाही पूर्ण करनी थी। राजस्व रिकार्ड में मृतक खातेदारों का नाम लम्बे समय तक नहीं रह सकता। तहसीलदार का दायित्व बनता है कि भूमि को राजस्व रिकार्ड को समय समय पर अपडेंट करें। सक्षम न्यायालय द्वारा स्पष्ट रूप से अन्यथा आदेश न होने तक मृतक खातेदारों के वारिसों तथा विक्रय पत्रों के आधार पर किये गये अंतरणों के आधार पर नियमित रूप से नामान्तरकरण कार्यवाही की जानी चाहिऐं।

अपीलांट ने अपर जिला न्यायाधीश के समक्ष सिविल न्यायाधीश के निर्णय की अपील विचाराधीन बतायी है परन्तु उसने अपील स्थगनादेश या मुंतकिली दरख्वास्त के लम्बित होने का कोई दस्तावेज पेश नहीं किया तहसीलदार ने पत्रावली में उपलब्ध सुसंगत दस्तावेजों का उल्लेख करते हुये तथा अपील न्यायालय के निर्देशों की पालना करते हुये नामान्तरकरण प्रकरण को विधि सम्मत निस्तारण किया है अपीलांट ने अपने समस्त दस्तावेजों तथा आपत्तियां अपील न्यायालय के समक्ष पेश कर दी थी। नामान्तरकरण के मामले का निर्णय करने से पूर्व वाद की तरह प्रक्रिया अपनाना आवश्यक नहीं है। अपीलांट ने केवल कृष्णकुमार के वारिसों को मृतक खातेदार रामलाल की विरासत से वंचित करने की नीयत से दुबारा दोनों अपीले पेश की है।

अतः दोनों अपीले सारहीन पाये जाने पर खारिज की जाती है। निर्णय की एक एक प्रति दोनो पत्रावलियों में शामिल हो।

निर्णय दिनांक 13.09.2019 को सुनाया गया।

(रामनिवास जाट)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त,
बीकानेर।